वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 24.03.2025 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर“,अमर उजाला, दैनिक जागरण,"समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला–दि0 24.03.2025

आंबेडकर सहित 4 पार्कों का सुंदरीकरण कराएगा वीडीए

माई सिटी रिपोर्टर

वाराणसी। कांशीराम आवास योजना के तहत चार पार्कों का सुंदरीकरण कराया जाएगा। इसके तहत आंबेडकर पार्क को लिया गया है। इससे शहर में हरियाली बढ़ेगी।

साथ ही आसपास रहने वालों को बेहतर माहौल मिलेगा। इसके अलावा पार्कों में टहलने वालों के लिए बेंच, लाइटिंग आदि के कार्य कराए जाएंगे। इसके लिए वीडीए उपाध्यक्ष ने निर्देश दिया है।

कांशीराम आवासीय योजना की ओर से सेंट्रल जेल रोड के पार्कों का सुंदरीकरण कराया जा रहा है। नए रूप में हरा-भरा वातावरण मिलेगा। यह कार्य वीडीए की ओर कराया जा रहा है। जेल रोड के पीछे कोईलहवा शिवपुर में आंबेडकर पार्क फेज वन, ग्रीन पार्क फेज वन, ब्लॉक 5 के सामने पार्क, पानी की टंकी के पास पार्क में बोरिंग, बाउंड्रीवॉल, प्लास्टर, पाथवे, पेंटिंग और लाइटिंग का कार्य होगा।

बोरिंग का कार्य पहले ही हो चुका है। फुलवरिया फोरलेन से बाबतपुर जाने वालों के लिए बेहतर माहौल मिलेगा। यहां लोग सुबह और शाम टहलने के लिए आते हैं। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के अनुसार चार पार्कों को विकसित किया जाएगा। इसके लिए काम शुरू कराया गया है।

दैनिक जागरण–दि0 24.03.2025

सील भवनों में निर्माण होने पर क्षेत्रीय कर्मचारी होंगे जिम्मेदार : सचिव

जागरण संवाददाता, वाराणसी : सील भवनों में निर्माण मिलने पर वाराणसी विकास प्राधिकरण सचिव डा. वेद प्रकाश मिश्रा ने नाराजगी जाहिर की है। जोनल अधिकारी और अवर अभियंता से जवाब-तलब करने के साथ क्षेत्रीय कर्मचारियों को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने दो टूक कहा है कि क्षेत्र में अवैध निर्माण के साथ सील भवनों में निर्माण कार्य मिलने पर प्रथम दृष्ट्या उन्हें दोषी माना जाएगा। अवैध निर्माण की सूचना देने के बाद भी कार्रवाई नहीं करने पर जोनल अधिकारी और अवर अभियंता को दोषी माना जाएगा। उनका वेतन रोकने के साथ कार्रवाई की संस्तुति की जाएगी।

वीडीए सचिव ने पिछले दिनों जोन समीक्षा में पाया था कि जोनल अधिकारी, अवर अभियंता, सुपरवाइजर और चतुर्थ श्रेणी

डा. वेद प्रकाश मिश्रा, सचिव, वीडीए।

कर्मचारियों को जानकारी होने के बाद भी कुछ निर्माणों पर कार्रवाई नहीं करते हैं। कुछ ने एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप भी लगाया।

नाराजगी जाहिर करते हुए सचिव ने जोनल अधिकारी और अवर अभियंता को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उसके साथ सुपरवाइजर और चतुर्थ श्रेणी

- जोनल अफसर व अवर अभियंता से मांगा जवाब, चतुर्थ श्रेणी कर्मी व सुपरवाइजर होंगे दोषी
- जोनल अधिकारी और अवर अभियंता को जारी किया कारण बताओ नोटिस
- जोन कार्यालय को दें लिखित सूचना, दोबारा निर्माण पर दर्ज कराएं मुकदमा

कर्मचारियों को निर्देश दिया है कि क्षेत्र में अवैध निर्माण मिलने पर लिखित सूचना जोन कार्यालय को दें। तत्काल नोटिस जारी करने के साथ नक्शा पास कराने के लिए आवेदन कराएं। फिर भी भवन स्वामी नक्शा दाखिल नहीं करता है तो उसे सील कराएं। दोबारा निर्माण मिलने पर थाने में मुकदमा दर्ज कराएं।